छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

BBA Approval (5)

(IV)

सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 2692 / 2016 दिनांक : 17 / 08 / 2016

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत कार्य परिषद (बैठक दिनांक 30.05.2016) की अनुमति से डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. यदि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
7. **महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता / निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।**

(सैय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रबन्धक, डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम का सत्र 2015–16 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2016 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक / उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
7. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(सैय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रेषक,

[illegible] कुमार [illegible],
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 — लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2013

विषय:– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2638/2013, दिनांक 25.07.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन डा0 वीरेन्द्र स्वरूप इन्स्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

(i) प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों को प्रबन्धतंत्र द्वारा नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत कर उन्हें कार्यभार ग्रहण कराकर उन्हीं से शिक्षण कार्य कराया जायेगा। इसी के साथ प्रबन्धतंत्र एवं शिक्षकों के बीच अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।

(iii) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा–37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। (2)

Principal
Dr. Virendra Swarup
Institute of Computer Studies
Saket Nagar, Kanpur

(7)

B.B.A Approval

... राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा–37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट व्यवस्था दी गई है–

37(6)– कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

37(7)– कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(vi) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(vii) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव इस बात का भली–भांति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुई है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(viii) संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(ix) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(390)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या–सम्ब0 295(1)/सत्तर–6–2013–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
(3) सचिव/प्रबन्धक, डा0 वीरेन्द्र स्वरूप इन्स्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाइल।

Principal
Dr. Virendra Swarup
Institute of Computer Studies
Saket Nagar, Kanpur

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

8

BBA

BBA Approved

प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 255/सत्तर–6–2013–2(168)/2013 दिनांक 20.08.2013 द्वारा उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2688/2013 दिनांक 25.07.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन डा0 वीरेन्द्र स्वरूप इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

(i) प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों को प्रबन्धतंत्र द्वारा नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत कर उन्हें कार्यभार ग्रहण कराकर उन्हीं से शिक्षण कार्य कराया जायेगा। इसी के साथ प्रबन्धतंत्र एवं शिक्षकों के बीच अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य है। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।

(iii) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा–37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है, अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा–37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:–

37(6):– कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

37(7):– कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(vi) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

Principal
Dr. Virendra Swarup
Institute of Computer Studies
Saket Nagar, Kanpur

क्रमशः.........2

(9)

BBA Approval

VI

(vii) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव इस बात का भली–भांति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(viii) संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(ix) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

<u>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर</u>

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3514/2013 दिनांक 12-9-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, डा0 वीरेन्द्र स्वरूप इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में 120 सीट्स निर्धारित की जाती है। महाविद्यालय में संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या तथा अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप कुलसचिव (परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. सहायक कुलसचिव (सम्ब0), सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सैन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।

(मुम्मद ... हुसैन)
कुलसचिव